न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी – हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:–24/2018 दायर दिनांक:– 12.08.2018

जीसीएमएस नं. 2018/00242

उनवान

महावीरा पुत्र चम्पाराम जाति मीना निवासी श्यामपुर मुंडरी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

––प्रार्थीगण–03

बनाम

रामसहाय पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी श्यामपुर मुंडरी तहसील हिण्डोन जिला करौली राज0

––अप्रार्थीगण–21

प्रार्थना पत्र बाबत ब्रीच

निर्णय दिनांक:–

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार–बार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 30.11.2018 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 24/2018 महावीरा बनाम रामसहाय आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना [illegible] किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को [illegible] में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली